

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

डीबी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 254/2024

कुसुम लता पुत्री ऑफ़श्री सीताराम जोनवाल श्री लालाराम की विधवा बैरवा , उम्र लगभग 33 वर्ष, गाँव नांगल अभयपुरा , तहसील लालसोट , जिला दौसा , वर्तमान निवास 197, मारुति नगर, सांगानेर हवाई अड्डे के पास, सांगानेर जिला, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, गृह सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
2. पुलिस अधीक्षक , दौसा ।
3. थाना प्रभारी, पुलिस थाना लालसोट जिला दौसा ।
4. बाबूलाल बैरवा पुत्र रामफल , गाँव नांगल अभयपुरा , तहसील लालसोट, जिला दौसा
5. लछमा देवी पत्नी बाबूलाल बैरवा , गाँव नांगल अभयपुरा , तहसील लालसोट, जिला दौसा
6. सीमा की बेटी बाबूलाल बैरवा , गाँव नांगल अभयपुरा , तहसील लालसोट, जिला दौसा
7. जीतराम पुत्र बाबूलाल बैरवा , गाँव नांगल अभयपुरा , तहसील लालसोट , जिला दौसा
8. राजूलाल पुत्र बाबूलाल बैरवा , गाँव नांगल अभयपुरा , तहसील लालसोट , जिला दौसा
9. बीना की पत्नी राजूलाल बैरवा , गाँव नांगल अभयपुरा , तहसील लालसोट, जिला दौसा

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए : श्री विजय चौधरी
प्रतिवादी (ओं) के लिए : श्री राजेश चौधरी , जीए-सह-एएजी,
श्री गौरव गुप्ता, सहायक सरकार के साथ। अधिवक्ता
श्री अंशुमन सक्सैना
श्री अशोक कुमार, एएसआई, थाना लालसोट , जिला दौसा

माननीय श्रीमान. जस्टिस इंद्रजीत सिंह

माननीय श्रीमान. जस्टिस भुवन गोयल

आदेश

प्रकाशनीय

21/08/2024

1. यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा अपने लगभग डेढ़ वर्ष के नाबालिग बेटे की अवैध हिरासत के संबंध में दायर

की गई है और अपने नाबालिग बेटे की हिरासत की मांग कर रही है, जो कथित तौर पर अपने दादा-दादी की अवैध हिरासत में है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने मृतक लालाराम के साथ विवाह किया था बैरवा से 15.03.2021 को विवाह किया। उनके विवाह से 18.10.2022 को एक पुत्र का जन्म हुआ। याचिकाकर्ता को नियुक्त किया गया याचिकाकर्ता ने 01.02.2024 को स्कूल लेक्चरर ग्रेड- I के पद पर नियुक्ति प्राप्त की। दुर्भाग्यवश, याचिकाकर्ता के पति की 18.02.2024 को एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसके बाद, याचिकाकर्ता अपने ससुराल से अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए चली गई, जहाँ वह जिला टोंक में तैनात थी। इस दौरान, नाबालिग बच्चे की कस्टडी प्रतिवादियों के पास रही, जिन्होंने उसके बाद उसके नाबालिग बेटे की कस्टडी प्रतिवादियों को नहीं सौंपी और उसे अवैध रूप से हिरासत में रखा। इसलिए, उसने अपने नाबालिग बेटे की अवैध हिरासत और अपने नाबालिग बेटे की कस्टडी की मांग के संबंध में यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है।

3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता नाबालिग बच्चे की माँ है और हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार, वह प्राकृतिक अभिभावक होने के नाते नाबालिग बेटे की अभिरक्षा की हकदार है। वकील ने आगे दलील दी है कि याचिकाकर्ता एक सरकारी कर्मचारी है और उसे अच्छा मासिक वेतन मिलता है। वह अपने बेटे की अच्छी तरह देखभाल कर सकती है और उसके उज्ज्वल भविष्य का ख्याल रख सकती है। वकील ने आगे दलील दी है कि नाबालिग बेटे के हित और कल्याण के लिए, उसकी अभिरक्षा उसकी प्राकृतिक अभिभावक यानी याचिकाकर्ता-माँ को सौंप दी जानी चाहिए।

5. वकील ने तेजस्विनी गौड़ एवं अन्य बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी एवं अन्य **(2019) 7 एससीसी 42** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

6. प्रतिवादी संख्या 4 से 9 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आज न्यायालय में ही रिट याचिका के उत्तर की प्रति प्रस्तुत की। रिट याचिका का विरोध करते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पति लालाराम, प्रतिवादी संख्या 4 के पुत्र थे। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पति की असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसके अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा आत्महत्या के लिए वह स्वयं जिम्मेदार थी।

अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादियों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन जब पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो उन्होंने सक्षम न्यायालय में एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई, जो अभी भी लंबित है। उक्त शिकायत की एक प्रति प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत उत्तर के साथ संलग्न है। अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, नाबालिग बच्चा अपनी माँ की अभिरक्षा में सुरक्षित नहीं रहेगा और बच्चे के कल्याण के लिए, प्रतिवादी नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा पाने के हकदार हैं। इस प्रकार, अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका विचारणीय नहीं है।

7. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के धर्मेन्द्र चौधरी बनाम राजस्थान राज्य मामले 2024 0 सुप्रीम (राजस्थान) 163 और तेजस्विनी गौड़ (सुप्रा) के निर्णयों पर भरोसा किया है।

8. विद्वान सरकारी अधिवक्ता-सह-अपर महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि दिनांक 21.08.2024 की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य नहीं पाया गया है। उक्त रिपोर्ट को 'सी1' के रूप में अभिलेख में दर्ज किया गया है।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गौतम कुमार दास बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं अन्य के मामले में, जो विशेष अनुमति याचिका संख्या 5171/2024 से उत्पन्न हुआ था और जिस पर दिनांक 20.08.2024 को निर्णीत पैरा संख्या 15, 16 में निम्नलिखित निर्णय दिया है:

"15. हाल ही में, इस न्यायालय ने निर्मला (सुप्रा) के मामले में अनुच्छेद 16 में यह भी टिप्पणी की है कि जहाँ तक नाबालिग बच्चों की हिरासत के मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की स्वीकार्यता का संबंध है, कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता है। यह माना गया है कि रिट न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

16. हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित सभी निर्णयों में एक समान बात यह है कि बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता के प्राकृतिक अभिभावक होने के अलावा, नाबालिग बच्चे के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए भी, उसे अपने प्राकृतिक परिवार के साथ रहना चाहिए। नाबालिग बच्ची अभी छोटी है, और वह थोड़े समय में ही अपने

प्राकृतिक परिवार के साथ अच्छी तरह घुल-मिल जाएगी। इसलिए हम अपील स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं।"

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उद्धृत निर्णयों का अवलोकन करने के पश्चात, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता की ओर से दायर यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निम्नलिखित कारणों से स्वीकार किए जाने योग्य है:

(i) कॉर्पस लगभग डेढ़ वर्ष की आयु का एक नाबालिग बच्चा है। हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अनुसार, याचिकाकर्ता नाबालिग बच्चे का प्राकृतिक संरक्षक है।

(ii) प्रतिवादी संख्या 4, जो नाबालिग बच्चे का दादा है और लगभग 61 वर्ष का है, आठवीं कक्षा उत्तीर्ण है और ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, जिसकी नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है, जबकि याचिकाकर्ता एक सुशिक्षित महिला है और स्कूल लेक्चरर के रूप में कार्यरत है, उसे अच्छा मासिक वेतन मिलता है। इसलिए, वह बच्चे के कल्याण और उसके उज्ज्वल भविष्य का अच्छी तरह से ध्यान रख सकती है।

(iii) स्थिति रिपोर्ट में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई प्रतिकूल बात नहीं बताई गई है।

11. मामले के इस दृष्टिकोण को देखते हुए, यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका तदनुसार स्वीकार की जाती है।

12. हम प्रतिवादियों को न्यायालय में ही नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा याचिकाकर्ता-मां को सौंपने का निर्देश देते हैं।

13. संबंधित एसएचओ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता और उसके नाबालिग बेटे को उनके आवासीय घर जाते समय किसी के द्वारा कोई नुकसान न पहुंचाया जाए।

(भुवन गोयल), जे

(इंदरजीत सिंह), जे

सुदीपक/79

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी